

2.15
प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

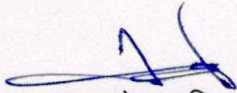
प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 25.05.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी है :-

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

कसं	वन ब्लॉक कम्पार्टमेंट	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	छतीना कम्पार्टमेंट-6	चीड़ हरे खड़े	02	07	11	14	10	10	15	—	—	69
कुल योग			02	07	11	14	10	10	15	—	—	69

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
जनपद बागेश्वर


उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभाग, बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

सिविल एवं सोयम वन भूमि पर प्रभावित हो वाले पेड़ों का विवरण।

कसं	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	उड्डेरा	चीड़	02	07	06	02	—	01	—	—	—	18
		योग	02	07	06	02	—	01	—	—	—	18

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

राजस्व उप निरीक्षक
विशाल
विशाल

तहसीलदार
बागेश्वर
जिला-बागेश्वर

उपनिरीक्षक
बागेश्वर
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

2.15
प्रपत्र-19.2

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित हो वाले वृक्षों का विवरण।

कसं	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	
1	प्रस्तावित मार्ग के वन पंचायत भूमि पर वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।										

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर (सदर)
जिला-बागेश्वर

उपनिरीक्षक
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

2.15
प्रपत्र-19.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

नाप भूमि पर प्रभावित हो वाले वृक्षों का विवरण।

कसं	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	उडेरा नाप	फल्याट	—	07	02	01	—	—	—	—	—	10
2	उडेरा नाप	तुन	—	—	—	—	—	—	01	—	—	01
		योग	—	07	02	01	—	—	01	—	—	11

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्र अधिकारी
वन प्रभारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

राजस्व उप निरीक्षक
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर (सदर)
जिला-बागेश्वर

उपजिल्लाधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

2.15
प्रपत्र-19.4

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

कसं	भूमि का प्रकार	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वनभूमि		2	7	11	14	10	10	15	—	—	69
2	सिविल सोयम भूमि		2	7	6	2	—	1	—	—	—	18
3	वन पंचायत भूमि		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		योग	4	14	17	16	10	11	15	—	—	87
4	नाप भूमि		—	7	2	1	—	—	1	—	—	11

वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन, प्रभाग, बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

2.15
प्रपत्र-19

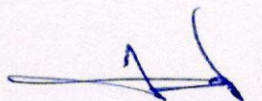
परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

संरेखण नं0 2 में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 25.05.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी है :-

कसं	भूमि का प्रकार	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वनभूमि		3	4	7	8	8	9	14			53
2	सिविल सोयम भूमि		2	8	7	1	2	3	—	—	—	23
3	वन पंचायत भूमि		2	5	5	8	9	9	13	—	—	51
		योग	7	17	19	17	19	21	27	—	—	127
4	नाप भूमि		3	7	8	3	2	—	1	—	—	24

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग


उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर, वन, प्रभाग, बागेश्वर

नोट— उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

2.15

प्रपत्र-20

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य रुपये **5,83,492.00** आंकलित किया जाता है।

वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर, वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर, वन क्षेत्र
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर, वन क्षेत्र
बागेश्वर, वन प्रभाग, बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.80 कि०मी० के निर्माण में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं आउटटर्न

क्र.सं.	नाम ग्राम	प्रजाति	व्यास	श्रेणी	वृक्षों की संख्या	आयतन	योग आयतन	दर	घनराशि
1	छत्तीना आरक्षित क० 6	चीड़	10-20	-	2	0.000	0.000	231.00	462.00
	तदैव	चीड़	20-30	-	3	0.198	0.594	471.00	1413.00
	तदैव	चीड़	30-40	-	5	0.737	3.685	1873.00	9365.00
	तदैव	चीड़	40-50	-	8	1.629	13.032	4325.00	34600.00
	तदैव	चीड़	50-60	-	8	2.890	23.120	7573.00	60584.00
	तदैव	चीड़	60-70	-	9	4.576	41.184	12328.00	110952.00
	तदैव	चीड़	70-80	-	12	6.460	77.520	17573.00	210876.00
	तदैव	चीड़	10-20	-	0	0.000	0.000	231.00	0.00
	तदैव	चीड़	20-30	-	4	0.198	0.792	471.00	1884.00
	तदैव	चीड़	30-40	-	6	0.737	4.422	1873.00	11238.00
	तदैव	चीड़	40-50	-	6	1.629	9.774	4325.00	25950.00
	तदैव	चीड़	50-60	-	2	2.890	5.780	7573.00	15146.00
	तदैव	चीड़	60-70	-	1	4.576	4.576	12328.00	12328.00
	तदैव	चीड़	70-80	-	3	6.460	19.380	17573.00	52719.00
3	उडेरा सिविल बेनाप	चीड़	10-20	-	2	0.000	0.000	231.00	462.00
	तदैव	चीड़	20-30	-	7	0.198	1.386	471.00	3297.00
	तदैव	चीड़	30-40	-	6	0.737	4.422	1873.00	11238.00
	तदैव	चीड़	40-50	-	2	1.629	3.258	4325.00	8650.00
	तदैव	चीड़	60-70	-	1	4.576	4.576	12328.00	12328.00
	योग				87		217.501		583492.00

वन क्षेत्र अधिकारी
जनपद बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग

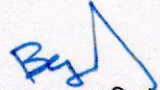
उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग

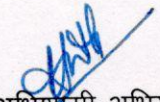
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

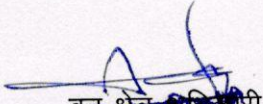
परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 87 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 87 वृक्षों का पातन किया जाना है।

By 
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड ला० नि० वि०
बागेश्वर


अधिसूची अभियंता
प्रान्तीय खंड ला० नि० वि०
बागेश्वर


वन क्षेत्र अधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
प्रमाणित वन प्रभाग


उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रमाणित वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर प्रभाग, बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।